-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.07.2024

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पुलिस द्वारा आनलाइन साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि से कुल 11,45,709/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में कराया गया वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 25-02-2024 को वादी श्री मनीष गुप्ता पुत्र स्व0 सोमप्रकाश गुप्ता निवासी मदन एनक्लेव कालोनी, जैन डिग्री कॉलेज रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को व्हाट्सएप पर सम्पर्क कर फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर शेयर्स ट्रेडिंग के जरिये लाभ कमाने का झांसा देकर वादी से कुल 63,78,000/- की धनराशि अपने खातों में ट्रांसफर करा लेने के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पर मु0अ0सं0 12/24 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी व धनराशि वापस कराये जाने हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम श्री संजय कुमार एवं विवेचक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी के 11,45,709/- रुपये की धनराशि विवेचना क्रम में बैंक में होल्ड करा दी गयी थी जिसको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अन्तर्गत धारा 457 CRPC के **मा०न्यायालय द्वारा सम्बंधित बैंक को आदेशित कर वादी की समस्त होल्ड धनराशि 11,45,709/- रुपये को पीड़ित के खाते में वापस कराया गया** । धनराशि वापस पाकर पीडित द्वारा सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम को धन्यवाद किया गया है।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. कं0ऑ0 (ग्रेड बी) गौरव तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. है०का० निशान्त तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. का० 2087 अंकित जाखड, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
6. म०का० 1869 रूपा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये ।

दिनांक:- 18.07.2025

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मात्र 01 घण्टे में ई-रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी ई-रिक्शा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17.07.2025 को वादी मुदस्सिर पुत्र नसीम अहमद निवासी पीर वाली गली नं0 25, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की ई-रिक्शा चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0स0 280/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मात्र 01 घण्टे ई-रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 अभियुक्त 1. फहीम पुत्र नदीम निवासी मौ0 786 नगर खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मुन्नालाल एण्ड खेमका गर्ल्स कालेज से चिलकाना की तरफ आशीर्वाद ट्रेडिंग के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गया ई-रिक्शा बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै नशे का आदी हूँ और अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह ई रिक्शा मण्डी समिति रोड पर शराब के ठेके के सामने से चोरी की थी। मै इसको बेचने की फिराक मे जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. फहीम पुत्र नदीम निवासी मौहल्ला 786 नगर खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:–

01 अदद बैट्री ई-रिक्शा जिसका रजि० नम्बर UP11CT7203

अभियुक्त फहीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 361/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम एवं 294 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 395/24 धारा 303(2) ,317(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 397/24 धारा धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0स0 280/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

3. हे0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 02 कमल कौशिक कोतवाली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक 18.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मात्र 04 घण्टे में कैंटर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया स्वराज माजदा कैन्टर, 02 मोबाइल फोन सहित अन्य जरूरी दस्तावेज व घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.07.2025 को रात्रि में वादी श्री धर्मेश कुमार पुत्र रामलोक निवासी कुल्हाडी वाला थाना बरोटीवाला जनपद सोलन (हिमाचल प्रदेश) की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी का स्वराज माजदा कैन्टर रजि0 नं0- HP-12-R-5449, 02 मोबाइल फोन (क्रमशः आईफोन 10 व रेडमी काला रंग), व पर्स (जिसमें आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस व पैन कार्ड व एचडीएफसी व ईको बैंक के एटीएम कार्ड आदि) चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 222/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व कैंटर की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 04 घण्टे में कैंटर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 अभियुक्तगण 1- शहजाद पुत्र युसुफ नि0 नमरा मस्जिद मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 2- मुस्तकीम पुत्र यासीन नि0 पुराना मदरसा के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को पीजीआई पिलखनी के पास अमृत सरोवर तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गया **स्वराज माजदा कैन्टर रजि0 नं0 एच0पी0 12 आर 5449 व आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पर्स, 02 टूटे हुए मोबाइल आदि** व **घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP 11 BM 8692** बरामद हुए। घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/324(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों ने यह गाडी इस्माईलपुर के समाने से स्टार पेपर मील के पास से कल शाम के समय चोरी की थी चोरी करने से पहले हम दोनों गाडी के ड्राईवर को रास्ता दिखाने के बहाने अपने साथ अपनी मोटर साईकिल UP11BM 8692 पर बैठाकर ले गये थे मौका पाकर हमने ड्राईवर से कैंटर/गाडी की चाबी निकाल ली थी और रास्ते में ही बहाना बनाकर ड्राईवर को छोडकर गाडी के पास आकर गाडी को लेकर चले गये थे रोड पर कांवड के कारण भीड भाड व अधिक पुलिस होने के कारण हमने गाडी को यहाँ तलाब के पास छुपाकर खडा कर दिया था जिससे रात्रि में जब भीड कम हो जायेगी और पुलिस सडक पर नही रहेगी तो इस गाडी को यहाँ से ले जाकर किसी व्यक्ति को बेच देगें और पुलिस ने हमे चोरी किये गये स्वराज माजदा कैन्टर आदि सामान के साथ पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- शहजाद पुत्र युसुफ नि0 नमरा मस्जिद मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ,

2- मुस्तकीम पुत्र यासीन नि0 पुराना मदरसा के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 स्वराज माजदा कैन्टर रजि0 नं0 एच0पी0 12 आर 5449 **(चोरी किया हुआ)**
- 02 मोबाईल फोन क्षतिग्रस्त (वादी मुकदमा के)
- 01 आधार कार्ड(वादी मुकदमा का)
- 01 पैन कार्ड(वादी मुकदमा का)
- 01 ड्राईविंग लाईसेंस (वादी मुकदमा का)
- 01 पर्स (वादी मुकदमा का)
- 02 एटीएम कार्ड (वादी मुकदमा के)
- घटना में प्रयुक्त बुलेट मो0सा0 रजि0 नं0 UP 11 BM 8692 **(सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट)**

अभियुक्त शहजाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 28/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 222/25 धारा 303(2)/317(2)/324(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 105/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं 419/19 धारा 414 भादवि व 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 222/25 धारा 303(2)/317(2)/324(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1558 जयदीप सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 372 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1265 विक्रान्त राठी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 18.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल बरामद

अवगत कराना है कि दिनाक 17.07.2025 को वादी गय्यूर हसन पुत्र अय्यूब अहमद निवासी मौ महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. दानिश पुत्र विलायत निवासी मोहल्ला महल नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर व 2. नवाजिश उर्फ मुन्ना डॉन पुत्र कल्लन सैफी निवासी मोहल्ला महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के मुर्गी फार्म से सबमर्सिबल आदि सामान की मोटर वोरिंग की नाल, कुल्हाडा, फावडा कसौला आदि सामान चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 275/25 धारा 303(2) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री सतेन्द्र कुमार के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 18.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित **अभियुक्त दानिश पुत्र विलायत नि0 मौ0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को ईदगाह रोड मुर्गीफार्म से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी किये गये सबमर्सिबल की मोटर, बोरिंग पाइप लगभग 3 फुट, तार लोहा तीन बन्डल, एक लोहे की जैली बिना लकडी के हत्थे की, दो पाइप लोहा लगभग 3 फुट के, दो पान्ने पुराने, एक हत्थोडा बिना बैटा के, एक कुदाली बिना हत्थे के, फल लम्बाई 9 इंच लगभग, 9 कुण्डे लोहा व दो छोटे पाइप लगभग छह इंच बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त दानिश उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ। कल रात को एक मुर्गी फार्म से मैने सबमर्सिबल मोटर पाइप और बहुत सारा लोहे का सामान चोरी कर लिया था। जिसे मै बेचने के लिये जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. दानिश पुत्र विलायत नि0 मौ0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास उर्फ बिल्ला—

1. मु0अ0सं0—602/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना गंगोह जिला स0पुर।
2. मु0अ0सं0—376/22 धारा- 379/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0- 416/24 धारा 305ए/317(2)बीएनएस थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0- 275/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनि0 स0पुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 सबमर्सिबल की मोटर

- 01 बोरिंग पाइप लगभग 3 फुट,
- 03 बन्डल तार लोहा
- 01 लोहे की जैली बिना लकडी के हत्थे की
- 02 पाइप लोहा लगभग 3 फुट के
- 02 पान्ने पुराने
- 01 हत्थोडा बिना बैटा के
- 01 कुदाली बिना हत्थे के फलक लम्बाई 9 इंच
- 09 कुण्डे लोहे के
- छोटे पाइप लगभग छः इंच

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर।
3. का0 2034 मनीष कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर।
4. हो0गा0 1830 संजय राणा थाना रामपुर मनि0स0पुर।
5. हो0गा0 1540 प्रीतम सिंह थाना रामपुर मनि0 स0पुर।